

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/सीधी भर्ती/ले.टे/09/1133 दिनांक : 6/10/09

नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (समय-समय पर संशोधित) के अन्तर्गत लेब टैक्नीशियन के पद पर वरियता के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमो मे उल्लेखित योग्यताधारियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पदो का विवरण

कुल पदों की संख्या	सामान्य पद		आरक्षित पद															
			अजा		अ0ज0जा		पि0 वर्ग		विशेष पि0 वर्ग		आर्थिक पिछडा वर्ग		निःशक्त जन	भूपूर्व सैनिक	अनुसूचित क्षेत्र		सहरि या क्षेत्र	उत्कृष्ट खिलाडी
	सा.	म0	सा	म0	सा	म0	सा	म0	सा	म0	सा	म0			अजा	अजजा		
312	68	28	34	14	26	10	44	18	11	4	30	12	09	39	1	11	1	6

आरक्षण :-

- (1) राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमो के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को 21 प्रतिशत, विशेष पिछडा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- (2) राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(2)कार्मिक/क-2/96 पार्ट II दिनांक 07.09.2007 के अनुसार महिलाओ को 30 प्रतिशत वर्गवार आरक्षण (Horizontal) देय है। इसी आरक्षण में विधवा महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है। पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।
- (3) भूतपूर्व सैनिको को 12.5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- (4) विकलांग अभ्यर्थियो (केवल वन लेग केटेगिरी) को नियमानुसार 3 प्रतिशत वर्गवार आरक्षण देय है।
- (5) योग्यताधारी उत्कृष्ट खिलाडियों को नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण देय है। खिलाडियों के लिए आरक्षित पदों हेतु आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं खिलाडियों को दिया जावेगा जिन्होंने एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहाँ उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

नोट : कम संख्या 2 से 5 तक उल्लेखित श्रेणी के अभ्यर्थियो को वर्गवार आरक्षण (Horizontal) देय है।

- (6) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.07 के अनुसार अनुसूचित/उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया क्षेत्र (तह0 किशनगंज एवं शाहबाद) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय है।

वेतनमान एवं अन्य सुविधाएँ :-

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या- क्रमांक एफ11(7)एफडी/रुल्स/08 दिनांक 12.9.08 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को रनिंग पे बैंड-1 (5200-20200),

ग्रेड पे संख्या-9 (रूपये 2400) में दो वर्ष के प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में 7900/- रूपये फिक्स राशि पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी तथा उक्त परिपत्र के अनुसार ही अन्य सुविधाएँ देय होगी। नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।

आयु:- (आयु की गणना दिनांक 01.01.2010 को आधार मानकर की जावेगी)

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2010 को 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहियें परन्तु यह कि :-

- 1-(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान का स्थाई निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट देय है।
- (ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय है।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थाई निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट देय है।

2-राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम-2000 के नियम-4 के उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :-

क-सामान्य वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

ख-पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष

ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 1398/2006 जितेन्द्र कुमार कुम्हार एवं अन्य (1398/2006,1400/2006,1426/2006, 1427/2006 एवं 1399/2006) बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक दिनांक 30.1.08 के परिप्रेक्ष्य में इस आदेश से प्रभावित अपीलार्थी लैब टेक्नीशियन के पद हेतु पात्र अभ्यर्थी माने जावेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में ही माना जावेगा।

4-भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष है।

5-विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है।

स्पष्टीकरण:- विधवा महिलाओं के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त (यदि कोई हो) अन्य मामलों में नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी।

योग्यता:-

1-सैकेण्डरी अथवा समकक्ष योग्यता के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 9 माह का लेबोरेट्री टैक्नीशियन कोर्स उत्तीर्ण।

2-देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

शुल्क:-

पद के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 200 रूपये, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 150 रूपये निशक्तजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से 100 रूपये आवेदन शुल्क होगा। जो पोस्टल आर्डर/बैंकर चैक/डी.डी. के रूप में आहरण वितरण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज जयपुर निदेशालय के नाम देय है।

आवेदन करने की अन्तिम तिथि :-

- (अ) विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापित में प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा तैयार कर भिजवाया जा सकता है।
- (ब) आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10.11.2019 सांयकाल 6 बजे तक है। नियत अन्तिम तिथि को निश्चित समय तक आवेदन पत्र कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (स) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक पंजीकृत/साधारण डाक अथवा कोरियर से अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज0 जयपुर को (कमरा नं0 101) भिजवायेंगे। व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। समस्त दस्तावेजों को टैग से बांधें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखें।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता

- 1- किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
 - 2- किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानी जावेगी। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
 - 3- किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।
- स्पष्टीकरण :-** इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैट्रल एक्ट 28 ऑफ 1961)
- 4- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।
 - 5- शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
 - 6- आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेगे।

सामान्य निर्देश:-

- 1- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके माता/पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति की आय/नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 2- अभ्यर्थी का चयन शुद्ध योग्यता/मैरिट के आधार पर किया जावेगा। मेरिट का आधार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत

एवं लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण की अंकतालिका के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंको को जोड़कर औसत निकाला जावेगा ।

3- विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार विभाग को होगा ।

4- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज न तो जोड़ा जावेगा और न ही संशोधित किया जावेगा ।

5- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होगा, कि वह उनमें से किसी भी एक आवेदन पत्र पर विचार करें ।

6- आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति/जाति/मूल निवास/विकलांगता/विधवा/परित्याक्ता/भूतपूर्व सैनिक/सन्तान संबंधी/विवाह पंजीयन एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो आवेदक के लिये आवश्यक है, की स्पष्ट पठनीय एवं सत्यापित प्रतिया संलग्न करें ।

7- अनुसूचित क्षेत्र के निवासी जो अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थी है, वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जो अनुसूचित क्षेत्र का हो, संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर भी मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

8- राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र चयन हेतु मान्य होंगे । गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

9- ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा ।



अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर।

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

क्रमांक:-

दिनांक:-

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।

लैब टैक्नीशियन के पद हेतु आवेदन पत्र वर्ष-2009

(अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम-1965)

आवेदक का नाम	हिन्दी में-		आवेदक नवीनतम फोटो चिपकाएँ
	अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)		
पिता का नाम	हिन्दी में-		
	अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)		
गृहजिला			

1-पत्र व्यवहार का पता: (हिन्दी में).....

2- जन्म तिथि (अंकों में)

(शब्दों में)

आयु (दिनांक-1.1.2010 को)	वर्ष-	माह-	दिन-
--------------------------	-------	------	------

(सैकण्डरी प्रमाण पत्र/अंकतालिका के अनुसार)

3-राज्य का नाम:-
(जहां के आप स्थायी निवासी हैं)

4-क्या आप राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ? यदि हां, तो (संबंधित वर्ग को \checkmark करें)-

SC	ST	BC	SBC	EBC

5- लिंग
(संबंधित खाने को \checkmark करें)

पुरुष	महिला

6- क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं:-
(संबंधित खाने में \checkmark करें)
यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें

हां	नहीं

7-यदि आप निःशक्तजन आवेदक हैं,
तो जिस श्रेणी के निःशक्त हैं, संबंधित
खाने में ✓ करें। (40 प्रतिशत या अधिक
विकलांगता होने पर ही आरक्षण का लाभ देय है)

oneleg	Other type

8- यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो संबंधित
खाने में ✓ करें। प्रमाण पत्र सचिव, राजस्थान
राज्य खेल परिषद से प्रतिहस्ताक्षर कराकर
छाया प्रति संलग्न कर, निम्नानुसार विवरण दें।

हाँ	नहीं

क- खेल का नाम :

ख- प्रतियोगिता का नाम :

ग- प्रतियोगिता में स्थान :

9-	यदि आप अनुसूचित क्षेत्र/उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा आदिम जाति क्षेत्र के निवासी है तो संबंधित जिले एवं क्षेत्र का उल्लेख करें।	जिले का नाम:- क्षेत्र का नाम:-
----	--	-----------------------------------

10-	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (कॉलम में ✓ करें)	विवाहित	अविवाहित	विधवा
-----	--	---------	----------	-------

11-आवेदक विवाहित है, तो:-

1-विवाह पंजीकरण संख्या.....(यदि हो तो)

2-पत्नि/पति का नाम.....

(विवाह पंजीकरण नहीं होने की दशा में 10/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप अनुसार नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)

3-सन्तानों का विवरण

दिनांक-1.6.2002 को		दिनांक-1.6.2002 के पश्चात		
जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म दिनांक	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म दिनांक	
1		1		
2		2		
3		3		

12-शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र सं	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	सैकण्डरी/हाई स्कूल अथवा समकक्ष					
2	सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष					
3	स्नातक/स्नातकोत्तर					

(विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/अंकतालिका ही मान्य होगी)

13-तकनीकी योग्यता

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम जहाँ से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
पूर्णांकों एवं प्राप्तांको का योग लिखे					

14-पोस्टल ऑर्डर/डी0डी0/पे-ऑर्डर नम्बर.....
दिनांक-.....राशि-.....डाकघर/बैंक का नाम मय
शाखा-

(केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र
श्री जो भारतीय सेना की
बटालियन/कम्पनी में दिनांक-.....सेतक सेवा
में रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होने की सभी शर्तें पूर्ण करते हैं, इनका कार्यव्यवहार
उत्कृष्ट/अच्छा/संतोषजनक रहा है। डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न
है।

सचिव
जिला सैनिक कल्याण बोर्ड,
.....
(हस्ताक्षर मय सील)

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरयुक्त घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र की सभी
प्रविष्टियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य एवं सही हैं, मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया
नहीं गया है। यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना असत्य/गलत अथवा संदिग्ध
पाई जावे तो विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है/
कर सकता है।

मैंने विभाग के विज्ञापन के उपबन्धों/नियमों को ध्यानपूर्वक पढ लिया है
और मैं एतद्वारा उनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

मैं यह घोषणा करता /करती हूँ कि मैं उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित
होने के लिये निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित पात्रता की सभी
शर्तों को पूरा करता /करती हूँ।

स्थान-
दिनांक-
संलग्न:-

आवेदक के हस्ताक्षर

क्र सं	संलग्न प्रमाण पत्र का विवरण	प्रमाण पत्र का क्रमांक	प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि	विशेष विवरण, यदि कोई हो
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या-.....(अंकों में).....शब्दों में